

अतएव मेरा पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में भोजन बनाने की गैस प्रदाय से हो रहे विलम्ब समाप्त कर प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध करावें। साथ ही उज्जैन तथा इन्दौर में गैस प्रदाय की स्थिति में तत्काल सुधार करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

(viii) Need for preserving the culture of the Santhals

श्री शिबू सोरन (दुमका) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1855 में संथाल परगना को विशेष अधिकार उपलब्ध है। राज्य सरकार ने बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1864 के अधिकार का प्रयोग करते हुए इस जिले को चार भाग में बांट दिया है। इसी तरह राँची और सिंहभूम को भी क्रमशः तीन एवं दो जिलों में बांट दिया गया है। इस बंटवारे से तो जनजातियों को औद्योगिक क्षेत्र से एकदम अलग कर दिया गया है। बंटवारे के उपरान्त नये कानूनों के जरिये संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को भी निष्प्रभाव बना दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में ट्राइवल एडावाइजरी कौंसिल राज्यपाल, राष्ट्रपति को अलग-अलग ढंग से विकास में हस्तक्षेप करने का अधिकार था जिसको विभाजन के बाद राज्य सरकार ने पंगु बना दिया है।

इस विभाजन के जरिए जनजातियों के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परम्परा को नष्ट किया जा रहा है। संथाल जाति की कुछ विशेष परम्परायें हैं। इस विभाजन द्वारा संथाल जाति की सारी संस्कृति नष्ट होने की आशंका है।

जहाँ तक अनुसूचित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, संविधान के अनुसार भारत सरकार का

विशेष उत्तरदायित्व है। पंचम अनुसूची द्वारा भारत सरकार को उन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यों को निदेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों का तकाजा है कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे ताकि संथाल परगना की इन जनजातियों की संस्कृति और विशेष स्वरूप पर कोई आँच न आये।

14.53 hrs.

JUTE MANUFACTURES CESS BILL
—Contd.

AND

JUTE MANUFACTURES DEVELOPMENT COUNCIL BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Sangma on the 5th August, 1983, namely :

“That the Bill to provide for the levy and collection, by way of cess, of a duty of excise on jute manufacturers for the development of production of jute manufacturers and for matters connected therewith, be taken into consideration.”

We also now take up further consideration of the following motion moved by Shri P.A. Sangma on the 5th August, 1983, namely :

“That the Bill to provide for the establishment of a Council for the development of production of jute manufactures by increasing the efficiency and productivity in the jute industry, the financing of activities for such development and for matters connected therewith, be taken into consideration.”

Now Shri Amar Roy Pradhan, and then Shri Rajagopal Naidu. We are very